



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240181
CG-DL-E-10112022-240181

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 721]
No. 721]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 809(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 29 जून, 2022 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 481(अ), तारीख 29 जून, 2022 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 में,—

(क) उपनियम 19 के खंड (i) के "टिप्पण" में,—

(i) मद (12) में "सारणी 1" के स्थान पर, निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"सारणी 1**ओबीडी कार्य और सम्बद्ध**

क. 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् निर्मित यानों को, एआईएस 137 के अनुसार निम्नलिखित ओबीडी स्तर 1 (बीएस VI) अपेक्षाओं/मानकों/अनुपालनों का अनुपालन अपेक्षित है :--

क्र.सं.	मॉनिटरिंग मद
1.	सभी उत्सर्जन संबंधी शक्ति रेल घटक के लिए सर्किट निरंतरता
2.	एमआईएल (खराबी सूचक लैंप) ऑन के बाद तय की गई दूरी
3.	इलेक्ट्रॉनिक वाष्पीकरणीय पर्ज नियंत्रण उपकरण का विद्युत कनेक्शन काटना
4.	ईजीआर प्रणाली मानिटरिंग

सारणी 2**ओबीडी कार्य और सम्बद्ध**

ख. 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् निर्मित यानों को, एआईएस 137 के अनुसार निम्नलिखित ओबीडी स्तर 2-क (बीएस VI) अपेक्षाओं/मानकों/अनुपालनों का अनुपालन अपेक्षित है :--

क्र.सं.	मॉनिटरिंग मद
1.	सभी उत्सर्जन संबंधी शक्ति रेल घटक के लिए सर्किट निरंतरता
2.	सर्किट युक्तिसंगतता
3.	एमआईएल (खराबी सूचक लैंप) ऑन के बाद तय की गई दूरी
4.	इलेक्ट्रॉनिक वाष्पीकरणीय पर्ज नियंत्रण उपकरण का विद्युत कनेक्शन काटना
5.	ईजीआर प्रणाली मानिटरिंग
6.	खराबी का पता लगाना
7.	ऑक्सीजन सेंसर खराब होने की मॉनिटरिंग
8.	निदान प्रणाली मॉनिटरिंग के बाद एनओएक्स
9.	कण फ़िल्टर मॉनिटरिंग
10.	कण द्रव्यमान (पीएम) उत्सर्जन मॉनिटरिंग
11.	ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा
12.	इन-यूज निष्पादन मॉनिटरिंग - सभी मॉनीटर्स एम के लिए कोई न्यूनतम आईयूपीआरएम नहीं (आईयूपीआर निर्धारण की कार्यक्षमता)

सारणी 3**ओबीडी कार्य और सम्बद्ध**

ग. 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्मित यानों को, एआईएस 137 के अनुसार निम्नलिखित ओबीडी स्तर 2-ख (बीएस VI) अपेक्षाओं/मानकों/अनुपालनों का अनुपालन अपेक्षित है :--

क्र.सं.	मॉनिटरिंग मद
1.	सभी उत्सर्जन संबंधी शक्ति रेल घटक के लिए सर्किट निरंतरता
2.	सर्किट युक्तिसंगतता
3.	एमआईएल (खराबी सूचक लैंप) ऑन के बाद तय की गई दूरी
4.	इलेक्ट्रॉनिक वाष्पीकरणीय पर्ज नियंत्रण उपकरण का विद्युत कनेक्शन काटना

5.	उत्प्रेरक कनवर्टर मॉनिटर
6.	ईजीआर प्रणाली मानिट्रिंग
7.	खराबी का पता लगाना
8.	ऑक्सीजन सेंसर खराब होने की मॉनिटरिंग
9.	निदान प्रणाली मॉनिटरिंग के बाद एनओएक्स
10.	कण फ़िल्टर मॉनिटरिंग
11.	कण द्रव्यमान (पीएम) उत्सर्जन मॉनिटरिंग
12.	ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा
13.	इन-यूज निष्पादन मॉनिटरिंग - सभी मॉनीटर्स एम के लिए कोई न्यूनतम आईयूपीआरएम नहीं (आईयूपीआर निर्धारण की कार्यक्षमता)
14.	इन-यूज निष्पादन मॉनिटरिंग - सभी मॉनीटर्स एम के लिए आईयूपीआरएम का मान 0.1 के बराबर या उससे अधिक”;

(ii) मद (13) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(13) आईयूपीआर को ट्रैक करने के लिए विस्तृत आवश्यकताएं एआईएस 137 में दी गई हैं।”;

(iii) मद (16) के पश्चात्, "सारणी 2" के स्थान पर, निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"सारणी 2

बीएस-VI ओबीडी चरण 2-क के लिए ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा

(1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए)

वाहन	डब्ल्यूएमटीसी श्रेणी	सीओ (मिलीग्राम/किमी)	टीएचसी (मिलीग्राम/किमी)	एनओएक्स (मिलीग्राम/किमी)
पीआई वाहन	1, 2-1 और 2-2	2170	1400	350
	3-1 और 3-2	2170	630	450
सीआई वाहन	सभी	2170	630	900

सारणी 3

बीएस-VI ओबीडी चरण II-ख के लिए ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा

(1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए)

वाहन	डब्ल्यूएमटीसी श्रेणी	सीओ (मिलीग्राम/किमी)	एनएमएचसी (मिलीग्राम/किमी)	एनओएक्स (मिलीग्राम/किमी)	पीएम (मिलीग्राम/किमी)
पीआई वाहन	सभी	1900	250	300	50 ⁽¹⁾
सीआई वाहन	सभी	1900	320	540	50

(1) पीआई इंजनों के मामले में, केवल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजनों युक्त वाहनों पर लागू।

(ख) उपनियम 20 में,-

(i) "सारणी 1" के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी 1

पीआई और सीआई इंजनों से युक्त तिपहिया : बीएस VI

पीआई इंजनों वाले यान								
	सीओ (मिलीग्राम/ किमी)	एचसी+ एनओएक्स (मिलीग्राम/किमी)	एनओएक्स (मिलीग्राम/किमी)	पीएम (1) (मिलीग्राम/किमी)	ईवीएपी (मिलीग्राम/ परीक्षण)	ओबीडी	स्थिरता माइलेज (किमी) टाइप V	परीक्षण चक्र (टी = 0 सेकंड पर कोल्ड स्टार्ट)
सीमा	440	435	130	25	1500	चरण II	35000	आईडीसी
डी.एफ.	1.2	1.2	1.2	1.2	--	--	--	एआईएस 137
(1) पीआई इंजन के मामले में पीएम सीमा केवल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाले वाहनों पर लागू होगी और 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।								

सीआई इंजन से युक्त यान							
	सीओ मिलीग्राम/ किमी	एचसी+ एनओएक्स मिलीग्राम/ किमी	एनओएक्स मिलीग्राम / किमी	पीएम मिलीग्राम / किमी	ओबीडी	स्थिरता माइलेज (किमी) टाइप V	परीक्षण चक्र (टी = 0 सेकंड पर कोल्ड स्टार्ट)
सीमा	220	200	160	25	चरण II	35000	आईडीसी
डी.एफ.	1.1	1.0	1.0	1.2	--	--	एआईएस 137

(ii) "टिप्पण" में, मद (17) के पश्चात्, "सारणी 1" और "सारणी 2" के स्थान पर, निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"सारणी 1

ओबीडी कार्य और सम्बद्ध

1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् निर्मित यानों को, एआईएस 137 के अनुसार निम्नलिखित ओबीडी स्तर 1 (बीएस VI) अपेक्षाओं/मानकों/अनुपालनों का अनुपालन अपेक्षित है :-

क्र.सं.	मॉनिटरिंग मद
1.	सभी उत्सर्जन संबंधी शक्ति रेल घटक के लिए सर्किट निरंतरता
2.	एमआईएल (खराबी सूचक लैंप) ऑन के बाद तय की गई दूरी
3.	इलेक्ट्रॉनिक वाष्पीकरणीय पर्ज नियंत्रण उपकरण का विद्युत कनेक्शन काटना

सारणी 2

ओबीडी कार्य और सम्बद्ध

1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् निर्मित यानों को, एआईएस 137 के अनुसार निम्नलिखित ओबीडी स्तर 2-क (बीएस VI) अपेक्षाओं/मानकों/अनुपालनों का अनुपालन अपेक्षित है :-

क्र.सं.	मॉनिटरिंग मद
1.	सभी उत्सर्जन संबंधी शक्ति रेल घटक के लिए सर्किट निरंतरता
2.	सर्किट युक्तिसंगतता
3.	एमआईएल (खराबी सूचक लैंप) ऑन के बाद तय की गई दूरी
4.	इलेक्ट्रॉनिक वाष्पीकरणीय पर्ज नियंत्रण उपकरण का विद्युत कनेक्शन काटना
5.	ईजीआर प्रणाली मानिटरिंग
6.	खराबी का पता लगाना
7.	ऑक्सीजन सेंसर खराब होने की मॉनिटरिंग
8.	निदान प्रणाली मॉनिटरिंग के बाद एनओएक्स
9.	कण फ़िल्टर मॉनिटरिंग
10.	कण द्रव्यमान (पीएम) उत्सर्जन मॉनिटरिंग
11.	ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा

सारणी 3

ओबीडी कार्य और सम्बद्ध

1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् निर्मित यानों को, एआईएस 137 के अनुसार निम्नलिखित ओबीडी स्तर 2-ख (बीएस VI) अपेक्षाओं/मानकों/अनुपालनों का अनुपालन अपेक्षित है :-

क्र.सं.	मॉनिटरिंग मद
1.	सभी उत्सर्जन संबंधी शक्ति रेल घटक के लिए सर्किट निरंतरता
2.	सर्किट युक्तिसंगतता
3.	एमआईएल (खराबी सूचक लैंप) ऑन के बाद तय की गई दूरी
4.	इलेक्ट्रॉनिक वाष्पीकरणीय पर्ज नियंत्रण उपकरण का विद्युत कनेक्शन काटना
5.	ईजीआर प्रणाली मानिटरिंग
6.	खराबी का पता लगाना
7.	ऑक्सीजन सेंसर खराब होने की मॉनिटरिंग
8.	निदान प्रणाली मॉनिटरिंग के बाद एनओएक्स
9.	कण फ़िल्टर मॉनिटरिंग
10.	कण द्रव्यमान (पीएम) उत्सर्जन मॉनिटरिंग
11.	ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा
12.	उत्प्रेरक कनवर्टर मॉनिटरिंग

सारणी 4

बीएस-VI ओबीडी चरण II- क के लिए ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा
(1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए)

वाहन	सीओ मिलीग्राम /किमी	एनओएक्स मिलीग्राम /किमी	पीएम मिलीग्राम /किमी
पीआई वाहन	955	758	140 ⁽¹⁾
सीआई वाहन	955	960	140

(1) पीआई इंजनों के मामले में, केवल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाले वाहनों पर लागू।

सारणी 5

बीएस-VI ओबीडी चरण II-ख के लिए ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा
(1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए)

वाहन	सीओ मिलीग्राम /किमी	एनओएक्स मिलीग्राम /किमी	पीएम मिलीग्राम /किमी
पीआई वाहन	880	425	140 ⁽¹⁾
सीआई वाहन	440	300	140

(1) पीआई इंजनों के मामले में, केवल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन युक्त वाहनों पर लागू।”।

[सं.आरटी-11036/197/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 797(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2022

G.S.R. 809(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 481(E), dated the 29th June, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115,-

(a) in sub-rule (19), in clause (i), in the “Notes”,-

(i) in item (12), for the “Table 1”, the following Tables shall be substituted, namely:-

“TABLE 1

OBD FUNCTIONS AND ASSOCIATE

A. Vehicles manufactured on or after the 1st April, 2020, shall be required to comply with the following OBD Stage I (BS VI) requirements/standards/compliances as per AIS 137:-

Sr. No.	Monitoring Items.
1.	Circuit continuity for all emission related power train component
2.	Distance travelled since MIL (Malfunction indicator lamp) ON
3.	Electrical disconnection of Electronic evaporative purge control device
4.	EGR system monitoring

TABLE 2

OBD FUNCTIONS AND ASSOCIATE

B. Vehicles manufactured on or after the 1st April, 2023, shall be required to comply with the following OBD Stage II-A (BS VI) requirements/standards/compliances as per AIS 137:-

Sr. No.	Monitoring Items.
1.	Circuit continuity for all emission related power train component
2.	Circuit Rationality
3.	Distance travelled since MIL (Malfunction indicator lamp) ON
4.	Electrical disconnection of Electronic evaporative purge control device
5.	EGR system monitoring
6.	Misfire Detection
7.	Oxygen sensor deterioration monitoring
8.	NOx after-treatment system monitoring
9.	Particulate filter monitoring
10.	Particulate Matter (PM) Emission monitoring
11.	On-Board Diagnostics (OBD) Emission Threshold Limits
12.	In-use performance monitoring – No minimum IUPR _M for all monitors M (Functionality of IUPR Determination)

TABLE 3

OBD FUNCTIONS AND ASSOCIATE

C. Vehicles manufactured on or after the 1st April, 2025, shall be required to comply with the following OBD Stage II-B (BS VI) requirements/standards/compliances as per AIS 137:-

Sr. No.	Monitoring Items.
1.	Circuit continuity for all emission related power train component
2.	Circuit Rationality
3.	Distance travelled since MIL (Malfunction indicator lamp) ON
4.	Electrical disconnection of Electronic evaporative purge control device

5.	Catalytic converter monitoring
6.	EGR system monitoring
7.	Misfire Detection
8.	Oxygen sensor deterioration monitoring
9.	NOx after-treatment system monitoring
10.	Particulate filter monitoring
11.	Particulate Matter (PM) Emission monitoring
12.	On-Board Diagnostics (OBD) Emission Threshold Limits.
13.	In-use performance monitoring – No minimum IUPR _M for all monitors M (Functionality of IUPR Determination)
14.	In-use performance monitoring – IUPR _M greater than or equal to 0.1 for all monitors M

”;

(ii) for item (13), the following item shall be substituted, namely:–

“(13) Detailed requirements for tracking IUPR are given in AIS 137,”;

(iii) after item (16), for “Table 2”, the following Tables shall be substituted, namely:–

“TABLE 2

ON-BOARD DIAGNOSTICS (OBD) EMISSION THRESHOLD LIMITS FOR BSVI OBD STAGE II-A
(FOR VEHICLES MANUFACTURED ON OR AFTER THE 1ST APRIL, 2023)

Vehicle	WMTC Class	CO (mg/km)	THC (mg/km)	NOx (mg/km)
PI vehicles	1, 2-1 & 2-2	2170	1400	350
	3-1 & 3-2	2170	630	450
CI vehicles	All	2170	630	900

TABLE 3

ON-BOARD DIAGNOSTICS (OBD) EMISSION THRESHOLD LIMITS FOR BSVI OBD STAGE II-B
(FOR VEHICLES MANUFACTURED ON OR AFTER THE 1ST APRIL 2025)

Vehicle	WMTC Class	CO (mg/km)	NMHC (mg/km)	NOx (mg/km)	PM (mg/km)
PI vehicles	All	1900	250	300	50 ⁽¹⁾
CI vehicles	All	1900	320	540	50

⁽¹⁾ In case of P.I. engines, applicable only to vehicles with Direct Injection engines.”;

(b) in sub-rule (20),-

(i) for “Table 1”, the following Table shall be substituted, namely:–

“TABLE 1

THREE WHEELERS FITTED WITH PI AND CI ENGINES: BS VI

Vehicle with PI engines								
	CO mg/km	HC+NOx mg/km	NOx mg/km	PM ⁽¹⁾ mg/km	EVAP mg/test	OBD	Durability mileage (km) Type V	Test Cycle (Cold Start at T=0 sec)
Limit	440	435	130	25	1500	Stage II	35000	IDC AIS137
D.F.	1.2	1.2	1.2	1.2	--	--	--	

⁽¹⁾ PM limit in case of PI engines shall be applicable only to vehicles with Direct Injection engines and shall be applicable from 1st April 2023.

Vehicle with CI engines							
	CO mg/km	HC+NOx mg/km	NOx mg/km	PM mg/km	OBD	Durability mileage (km) Type V	Test Cycle (Cold Start at T=0 sec)
Limit	220	200	160	25	Stage II	35000	IDC AIS137
D.F.	1.1	1.0	1.0	1.2	--	--	

(ii) in the “Notes”, after item 17, for the “Table 1” and “Table 2”, the following Tables shall be substituted, namely:—

“TABLE 1

OBD FUNCTIONS AND ASSOCIATE

Vehicles manufactured on or after the 1st April, 2020, shall be required to comply with the following OBD Stage I (BS VI) requirements/standards/compliances as per AIS 137:-

Sr. No.	Monitoring Items.
1.	Circuit continuity for all emission related power train component.
2.	Distance travelled since MIL (Malfunction indicator lamp) ON.
3.	Electrical disconnection of Electronic evaporative purge control device.

TABLE 2

OBD FUNCTIONS AND ASSOCIATE

Vehicles manufactured on or after the 1st April, 2023, shall be required to comply with the following OBD Stage II-A (BS VI) requirements/standards/compliances as per AIS 137:-

Sr. No.	Monitoring Items.
1.	Circuit continuity for all emission related power train component.
2.	Circuit Rationality.
3.	Distance travelled since MIL (Malfunction indicator lamp) ON.
4.	Electrical disconnection of Electronic evaporative purge control device.

5.	EGR system monitoring.
6.	Misfire Detection.
7.	Oxygen sensor deterioration monitoring
8.	NOx after treatment system monitoring.
9.	Particulate filter monitoring.
10.	Particulate Matter (PM) Emission monitoring.
11.	On-Board Diagnostics (OBD) Emission Threshold Limits.

TABLE 3**OBD FUNCTIONS AND ASSOCIATE**

Vehicles manufactured on or after the 1st April, 2025, shall be required to comply with the following OBD Stage II-B (BS VI) requirements/standards/compliances as per AIS 137:-

Sr. No.	Monitoring Items.
1.	Circuit continuity for all emission related power train component.
2.	Circuit Rationality.
3.	Distance travelled since MIL (Malfunction indicator lamp) ON.
4.	Electrical disconnection of Electronic evaporative purge control device.
5.	EGR system monitoring.
6.	Misfire Detection.
7.	Oxygen sensor deterioration monitoring.
8.	NOx after treatment system monitoring.
9.	Particulate filter monitoring.
10.	Particulate Matter (PM) Emission monitoring.
11.	On-Board Diagnostics (OBD) Emission Threshold Limits.
12.	Catalytic converter monitoring.

TABLE 4

**ON-BOARD DIAGNOSTICS (OBD) EMISSION THRESHOLD LIMITS FOR BS-VI OBD STAGE II-A
(FOR VEHICLES MANUFACTURED ON OR AFTER THE 1ST APRIL, 2023)**

Vehicle	CO mg/km	NOx mg/km	PM mg/km
PI vehicles	955	758	140 ⁽¹⁾
CI vehicles	955	960	140

⁽¹⁾ In case of PI engines, applicable only to vehicles with Direct Injection engines.

TABLE 5

ON-BOARD DIAGNOSTICS (OBD) EMISSION THRESHOLD LIMITS FOR BS-VI OBD STAGE II-B
(FOR VEHICLES MANUFACTURED ON OR AFTER THE 1ST APRIL, 2025)

Vehicle	CO mg/km	NOx mg/km	PM mg/km
PI vehicles	880	425	140 ⁽¹⁾
CI vehicles	440	300	140

⁽¹⁾ In case of PI engines, applicable only to vehicles with Direct Injection engines.”.

[No. RT-11036/197/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 797(E) dated the 31st October, 2022.